

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
<p>6-3-20</p> <p>16-4-20</p> <p>18-5-20</p> <p>25-6-20</p> <p>27/20</p>	<p>पत्रावली नाना वरम दिग्गु: 16/4/20 के परत हो।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की विधि में/प्रमाण अवकाश पर ग्रहण हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 18.5.20 को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की विधि में/प्रमाण अवकाश पर ग्रहण हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 25.6.20 को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की विधि में/प्रमाण अवकाश पर ग्रहण हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 31.7.20 को प्रस्तुत करें।</p> <p>चकुलम उद्यम पत्रावली का अपलोडन किया जिससे ज्ञान हुआ कि प्रकरण में दिग्गु: 25/19 को लाकम वादी बंद ही जा चुकी है, वादी वादपत्र को साबित करने में अक्षम रहे।</p> <p>धन: वाद अ-गानि धारा 53, 88, 188 A.T. 2017 वाली वादी साबित नहीं कर पाने के कारण जारीज किया जाना है। भिन्न रूप से नभवाट से कम होकर साबित नपता है।</p>	<p></p>

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायसल, जिला नागौर